बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: 91.612.2520960, फैक्स:91.612.2535900, website: www.icdsbih.gov.in

हमारा बिहार

संचिका संख्या :– ICDS/80050/04-2018 (खण्ड–क) 2673 दिनांक 02/06/2020

प्रेषक,

निदेशक
आई.सी.डी.एस.।

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
सभी महिला पर्यवेक्षिका।

विषय :– **COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए गाँवों में गृह भ्रमण कर ICDS की सेवाओं का अनुश्रवण तथा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता का प्रसार करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि दिनांक 03.06.2020 की संलग्न विवरणी के अनुसार निर्धारित पंचायत/ग्राम में गृह भ्रमण कर निम्नांकित निदेशानुसार निरीक्षण/अनुश्रवण किया जाएगा –

1. यह निरीक्षण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित आँगनबाड़ी सेविका के साथ किया जाएगा। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने–अपने अधीनस्थों द्वारा भ्रमण तथा अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2. इस निरीक्षण/भ्रमण का उद्देश्य ग्रामीणों/लाभार्थियों के बीच कोरोना संक्रमण से संबंधित जागरूकता फैलाना तथा ICDS की सभी छः सेवाओं को जनसमुदाय/प्रवासियों तक पहुँचाया जाना भी है। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में आँगनबाड़ी केन्द्रों के बन्द रहने की स्थिति में केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएँ लाभार्थियों के बीच जाकर उपलब्ध कराई जा रही है। अतः पोषाहार, सुधा दूध, टीकाकरण, स्कूलपूर्व शिक्षा, रेफरल सेवा आदि की उपलब्धता की जानकारी लिया जाना है।

3. इसके साथ ही **MKUY, PMMVY, CAS, आधार तथा बैंक खाता विवरणी, प्रवासी लाभार्थियों** का आँगनबाड़ी केन्द्रों में निबंधन संबंधी कार्यों का भी अनुश्रवण किया जाएगा।

उपरोक्त भ्रमण एवं अनुश्रवण का विडियो और फोटोग्राफ मिलाकर कम से कम 5 प्रमाण संधारित किया जाएगा तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रपत्र के साथ शाम 5.00 बजे तक ऑनलाईन भेज दिया जाएगा। संलग्न महिला पर्यवेक्षिका की विवरणी में असंबद्धता/त्रुटि अथवा अन्य दिक्कत होने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने स्तर से महिला पर्यवेक्षिका के क्षेत्र आवंटन में संशोधन कर सकते हैं।

अतः निदेश दिया जाता है कि सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका उपरोक्त अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे।

अनु : यथोक्त ·

विश्वासभाजन
2/6/20
निदेशक
आई.सी.डी.एस

ज्ञापांक :– ICDS/80050/04-2018 (खण्ड–क) 2673 दिनांक 02/06/2020

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2/6/2
निदेशक
आई.सी.डी.एस